In the Court of Addl. Sessions Judge- I,

Vaishali at Hajipur,

Bidupur P.S. Case no.-586/2021

U/S-20(b)(ii)(B)/23 NDPS ACT.
Order Dated:-05-12-2022

05-12-2022

दिनांक 01.10.2022 से इस वाद मे काराधीन अभियुक्त नितेश कुमार उर्फ नितेश कुमार सिंह की ओर से जमानत आवेदन विद्वान अधिवक्ता श्री पी.के. सिंह द्वारा दाखिल किया गया, जिसकी प्रति विद्वान विशेष लोक अभियोजक श्री प्रहलाद चौरसिया, को प्राप्त है। उभय पक्षो को सुना।

संक्षेप मे प्रस्तुत वाद की प्राथमिकी इस प्रकार से है कि सूचिक धंनजय कुमार पाण्डेय थानाध्यक्ष बिदुपुर द्वारा स्वलिखित बयान अंकित किया गया कि दिनांक 29.11.2021 को गुप्त सूचना मिला कि ग्राम–भैरोपुर मे नितेश कुमार अपने अर्द्धनिर्मित मकान मे गांजा के साथ गांजा बिक्री हेतु किसी का इंतजार कर रहा है। सूचना से वरीय पदाधिकारी को सूचित करते हुये शसस्त्र बल एवं अंचलाधिकारी बिदुपुर के साथ उक्त स्थान पर पहुॅचा एवं छापामारी किया तो एक व्यक्ति उक्त घर के पीछे से एक सफेद बोरा लेकर भागते दिखा जिसका पीछा किया गया तो वह केलवानी मे बोरा फेक दिया तथा भागने मे सफल रहा। भागने वाले व्यक्ति की पहचान स्थानीय चौकीदार द्वारा नितेश कुमार के रूप मे किया गया। विधिवत बोरे की तलासी लिया गया तो टेप से लिपटा कुल 04 बंडल था। कूल वजन 3 किलो 500 ग्राम पाया गया।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बहस के दौरान कथन किया गया कि आवेदक बिल्कुल निर्दोश है। आवेदक का कोई पूर्व अपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक के पास से कोई भी अवैध गांजा बरामद नही किया गया है। जिस बरामद गांजा की बात प्राथमिकी मे अंकित है वह केलवानी से बरामद किया गया है। आवेदक घटना स्थल पर नही था उसके दुश्मनो द्वारा इस वाद मे उसे फसा दिया गया है। आवेदक दिनांक 01.10.2022 से इस वाद मे काराधीन है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि आवेदकगण को जमानत देने की कृपा की जाये।

विद्वान विशेष लोक अभियोजक, वैशाली द्वारा जमानत आवेदन का विरोध किया गया।

जमानत आवेदन पर उभय पक्षो को सुना। अभिलेख, कांड दैनिकी तथा

Web Copy not Official
ADJ I VAISHALI

In the Court of Addl. Sessions Judge- I,

Vaishali at Hajipur,

<u>Bidupur P.S. Case no.-586/2021</u>

<u>U/S-20(b)(ii)(B)/23 NDPS ACT.</u>

प्राथमिकी का अवलोकन किया। प्राथमिकी के अनुसार गुप्त सूचना के आधार पर छापामारी के दौरान आवेदक अभियुक्त अपने हाथ मे लिये बोरा को फेक कर भागने मे सफल रहा। उक्त बोरा की तलासी लेने पर उसमे 03 किलो 500 ग्राम अवैध गांजा पाया गया। स्थानीय चौकीदार द्वारा भागने वाला व्यक्ति के रूप मे आवेदक का नाम बताया गया है। प्रस्तुत वाद मे आरोप पत्र सं0–701/2022 दिनांक 27.11.2022 धारा 20(b)(ii)(B)/23 NDPS ACT. के अंतर्गत आवेदक के विरूद्ध समर्पित किया गया है तथा जप्त प्रदर्श के नमूने की जॉच एफ.एस.एल. से कराये जाने हेतु एवं शेष बिन्दुओ पर पर पूरक अनुसंधान जारी रखा गया है। वाद दैनिकी की कंडिका 03 मे जप्ती सूची का उल्लेख किया गया है। कंडिका 11 मे घटना स्थल का उल्लेख किया गया है। वाद दैनिकी की कंडिका 24 मे अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी का पर्यवेक्षण टिप्पणी का उल्लेख किया गया है जिसमे आवेदक के विरूद्ध घटना को सत्य पाया गया है। आवेदक प्रस्तुत वाद मे दिनांक 01.10.2022 से काराधीन है। आवेदक द्वारा फेके गये बोरे से तलासी के दौरान कुल 03 किलो 500 ग्राम अवैध गांजा पाया गया है। आवेदक द्वारा किया गया कार्य गंभीर प्रकृति का है। ऐसी स्थिति मे उपरोक्त सभी तथ्यों एवं परिस्थितियो के अवलोकन से आवेदक को जमानत की सुविध दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

फलस्वरूप आवेदक की ओर से दाखिज जमानत आवेदन **खारिज** किया जाता है।

Copy not official
ADJ I VAISHALI

(Deepak Kumar Singh)
Addl. Sessions Judge-I
Vaishali at Hajipur
05-12-2022